संख्या–RF-624/9–9–17– 111ज/13

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद आजमगढ जनपद– आजमगढ़/
नगर पंचायत घोरावल जनपद–सोनभद्र ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 22 जून , 2018

विषय– नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या–37 ब्याज रहित ऋण के रूप में वित्तीय वर्ष 2014–2015 एवं 2015–2016 एवं 2016–17 में स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढाने जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय क्रमशः अपने पत्रांक–373,374,375 , दिनांक 09.05.2018, पत्रांक–2047/न0पं0/2018–19, दिनांक–10–05–2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–2016, 2016–17 में प्रदेश की विभिन्न नागर निकायों को उनकी मांग पर विकास कार्य हेतु नया सवेरा नगर विकास योजना अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसके सम्बन्ध में निम्न निकायो द्वारा स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि लाख रू0 में)

क0 सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अनुदान संख्या	स्वीकृति धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	आजमगढ़	न0पा0प0 आजमगढ़	संख्या–152/2016/आरएफ1300/नौ–9–16–103आरएफ/16,दिनाक–23.09.2016	37	20.00
		प0पा0प0 आमगढ़	आरएफ611/नौ–9–14–61आरएफ/14–11, दिनांक–30–09–2014	37	416.84
		न0पा0प0 आजमगढ़	सं0–80/2016/आरएफ758/नौ–9–16–64आरएफ/15,दि0 30–05–2016	37	255.78

S.k.Go's

2	सोनभद्र	न0पं0 घोरावल	आरएफ568 / नौ–9–14–57आरएफ / 14, दिनांक–23–09–2014	37	228.93

3. उपरोक्तानुसार कालम–03 में उल्लिखित नागर निकायों को नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत धनराशि की **उपयोगिता अवधि दिनांक–31.12.2018 तक इस शर्तें के साथ अन्तिम रूप से बढ़ायी जाती है** कि उक्त तिथि के पश्चात पुनः अवधि नहीं बढाई जायेगी। उक्त निकायों द्वारा प्रत्येक दशा में अप्रयुक्त धनराशि का नियमानुसार व्यय / उपभोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी दशा में उक्त अवधि से आगे उपयोगिता अवधि नहीं बढायी जायेगी।

4. सम्बन्धित निकायों द्वारा योजना का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाय, तथा यथाशीघ्र स्वीकृत कार्यो को पूर्ण कराकर निर्धारित समयावधि के अन्दर धनराशि का नियमानुसार व्यय / उपभोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक–31.12.2018 तक निर्धारित प्रपत्र पर कार्यालय महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
21/6/18

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– सम्बन्धित मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– कोषाधिकारी, आजमगढ़ / सोनभद्र ।
4– निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
6– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8।
7– गार्ड फाइल / वेब मास्टर को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,

o/C

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

S.k.Go's